

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 1973**

(U. P. ACT No. 2 OF 1973)

*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Municipalities  
(Sonshodhan) Adhiniyam, 1973*

AN  
ACT

*further to amend the United Provinces Municipalities Act, 1916*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 1973. Short title.

2. After section 10-A of the United Provinces Municipalities Act, 1916, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new Section 10-AA in U. P. Act II of 1916.

“10-AA. Where in circumstances other than those mentioned in section 11, the term or the extended term of the Board has expired and a new Board has not been constituted, then until the due constitution of the new Board— Temporary provisions regarding administration of a Board until a new Board is constituted.

(a) all powers, functions and duties of the Board, its President and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Board, the President or the Committee, as the occasion may require ;

(b) such salary and allowances of the Administrator as the State Government may by general or special order in that behalf fix shall be paid out of Municipal Fund ;

(c) the State Government may from time to time, by notification in *Gazette*, make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting, altering or modifying any provisions of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purposes of this section.”

3. (1) Where in circumstances other than those mentioned in section 11 of the principal Act, the term or extended term of a Board has expired before the commencement of this Act and a new Board has not been constituted the consequences mentioned in clauses (a), (b) and (c) of section 10-AA of the principal Act, as inserted by section 2 of this Act, shall come into effect from the commencement of this Act. Transitory provisions.

(2) In every such case—

(a) where the President and members of the Municipal Board whose term had expired, have purported to exercise or perform any powers or duties of the Board before the commencement of this Act, such purported exercise or performance shall be deemed to be valid as if term of the Board stood extended until the commencement of this Act :

---

(\*For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (*Extraordinary*), dated December 12, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 13, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 11, 1973.)

(Received the Assent of the Governor on January 22, 1973 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette *Extraordinary*, dated January 22, 1973.)

Provided that notwithstanding anything, in the principal Act, the Administrator, referred to in section 10-AA of the principal Act as inserted by section 2 of this Act, may review any act done or decision taken in such purported exercise or performance of powers and duties, including, in particular, any contract entered into or any order made of appointment or promotion or dismissal or removal or other punishment of a servant of the Board ;

(b) where the District Magistrate or any officer appointed by him in that behalf has purported to exercise or perform any powers or duties of the Board whose term or extended term had expired before the commencement of this Act, such purported exercise or performance shall be deemed to be valid as if the District Magistrate, or an officer appointed by him in that behalf, as the case may be, had been duly appointed as Administrator under clause (a) of section 10-AA of the principal Act, as inserted by section 2 of this Act, and he shall continue to act as such Administrator until any officer is appointed in his place under that clause.

Repeal of U. P. Ordinance No. 22 of 1972. 4. The Uttar Pradesh Municipalities (Second Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1973  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1973)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 जनवरी, 1973 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अपेक्षित संशोधन करने के लिये

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

यू० पी० ऐक्ट  
संख्या 2, 1916  
में नई धारा  
10-क का  
बढ़ाया जाना

“10-क—यदि धारा 11 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में बोर्ड का कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है और नया बोर्ड संघटित नहीं किया गया है तो नये बोर्ड का मध्यक संघटन होने तक—

(क) बोर्ड, उसके प्रेसीडेन्ट तथा समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, और विधि में प्रशासक को अवसर की अपेक्षानुसार बोर्ड, प्रेसीडेन्ट या समिति समझा जायगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, म्युनिसिपल निधि से दिया जायगा;

(ग) राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे मानुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, कर सकती है।”

3—(1) यदि मूल अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में, किसी बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो, और नया बोर्ड संघटित न किया गया हो तो मूल अधिनियम की धारा 10-क के खण्ड (क), (ख) और (ग), जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे।

संक्रमणकालीन  
उपबन्ध

(2) प्रत्येक ऐसी दशा में,—

(क) जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, प्रेसीडेन्ट तथा सदस्यों द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायगा मानों बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका है :

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10-कक, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के तात्पर्यित प्रयोग या पालन में किये गये किसी कार्य अथवा लिये गये किसी निर्णय का, जिसके अन्तर्गत, विशेषतया कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेक्टर की नियुक्ति या पदोन्नति या सेवान्मूक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का कोई आदेश भी है, पुनर्विलोकन कर सकता है।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए)।

(ख) जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा बोर्ड की, जिसका कार्यकाल था बढ़ाया गया कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार बंध समझा जायगा मानो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी, जैसी भी वशा हो, मूल अधिनियम की धारा 10-क के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, सम्यक् रूप से प्रशासक नियुक्त किया गया हो, और वह ऐसे प्रशासक के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि उक्त खण्ड के अधीन उसके स्थान पर कोई अधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या  
22, 1972 का  
निरसन

4—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।